फर्द अहकाम

मालीराम बनाम रामधन वगैरह

न्यायालय ACM (PT) Shahpura-Jaipur

दावा

47/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
27/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष पर मनन एवं बाद अवलोकन पत्रावली दावा मुताबिक इंद्राजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया एवं शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :- 47 / 2025

उनवान

1. मालीराम पुत्र रामलाल उर्फ रामु, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम देवीपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

बनाम

1. रामधन पुत्र बिहारी
2. सुशीला पुत्री बिहारी
3. ओमप्रकाश पुत्र बिहारी
4. नानगी देवी पुत्री बिहारी
5. मैना देवी पुत्री बिहारी
6. रामचन्द्र पुत्र बिहारी
7. संतोष देवी पुत्री बिहारी
8. अर्जुनलाल पुत्र रामलाल उर्फ रामु
9. गिरधारी लाल पुत्र कानाराम
10. रिछपाल पुत्र कानाराम
11. शंकर लाल पुत्र कानाराम
12. बनवारी लाल पुत्र कानाराम
13. मंजू देवी पुत्री कानाराम
14. कौशल्या देवी पुत्री नेमीचन्द
15. धनराज पुत्र नेमीचन्द
16. भरतराज पुत्र नेमीचन्द
17. मैंवा देवी पत्नि नेमीचन्द

समस्त व्यस्क जाति कुम्हार निवासी ग्राम देवीपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर।

18. महेन्द्र पुत्र किशनलाल
19. राजेन्द्र पुत्र किशनलाल
20. रमेश कुमार पुत्र किशनलाल
21. किरण देवी पुत्री किशनलाल

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

समस्त व्यस्क, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम थोई रामपुरा, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राज०)

22. कमली देवी पत्नि बन्नाराम उम्र–व्यस्क, जाति गुर्जर निवासी ग्राम बिचपुडी तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

23. माली देवी पत्नि बीरबल उम्र–व्यस्क, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बिचपुडी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

24. उपपंजीयक शाहपुरा, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर, जिला जयपुर, (राज०)

25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर, (राज०)

26. प्रबन्धक दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि० शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 27/4/26

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नं0–36 रकबा 0.7600, 37 रकबा 0.2300 हैक्टर कुल किता–2 कुल रकबा 0.9900 हैक्टर वाकै ग्राम बिचपुडी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी वर्तमान खातेदारी में वादी का 65/792 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–1 लगायत 7 प्रत्येक का 2/35 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0–8 का 65/792 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–9 लगायत 21 के बुजुर्ग कानाराम पुत्र रतना का 65/396 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0–22 का 17/99 हिस्सा व प्रतिवादी सं0– 23 का 1/10 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दी सं0–2074 से 2077 खाता सं0–31 संलग्न वाद पत्र पेश है। यहकि उक्त भूमि जिमन नं0–1 वाद पत्र में दर्ज भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं0–1 लगायत 23 शामिल में रहकर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण शामिल में आपसी मनबट से काबिज रहकर काश्त कर रहे है किन्तु अभी कुछ दिनो से प्रतिवादी सं0–1 लगायत 7 ने वादी के विरूद्ध एक नाजायज संगठन बना लिया है तथा वादी को उसके हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से नाजायज रूप से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करना चाहते है तथा उक्त भूमि पर व्यवसायिक निर्माण कार्य करने को आमादा फिसाद है। खातेदार कानाराम पुत्र रतना का देहान्त हो चुका है कानाराम के पॉच पुत्र गिरधारी लाल, नेमीचन्द, रिछपाल, शंकर लाल, बनवारी लाल तथा दो पुत्रीया शांति देवी व मंजू देवी हुई है जिनमें से नेमीचन्द व शान्ति देवी का देहान्त हो चुका है प्रतिवादी सं0–14 लगायत 17 नेमीचन्द के वारिसान है तथा प्रतिवादी सं0–18 लगायत 21 शांति देवी के

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

वारिसान है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0–9 लगायत 21 खातेदार कानाराम के कानूनी वारिसान है। यहकि जिमन नं0–1 वाद पत्र में दर्ज भूमि पर उक्त खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उक्त आराजी खसरा नम्बरान की भूमि पर शामिल में ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है उक्त विवादित भूमि का खातेदारान के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है प्रतिवादी सं0–1 लगायत 7 के मन में दुर्भावना आ गयी है और उन्होनें वादी के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है और वादी को उसके हिस्से के भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करने व अडचन पैदा करने लग गये है तथा वादी के उक्त भूमि के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में दखलदांजी पैदा करने लग गये है तथा उक्त भूमि के वादी के कब्जे के विशिष्ट भू भाग पर व्यवसायिक निर्माण कार्य करने के लिए निर्माण सामग्री एकत्रित कर निर्माण करने को आमादा है वादी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने को आमादा है। तथा उक्त विवादित आराजी मुतनाजा के ऊपजाऊ व विशिष्ट भू–भाग का बेचान दीगर व्यक्तियो के पक्ष में करने को आमादा है। यहकि अभी 5 दिन पूर्व प्रतिवादी सं0–1 लगायत 7 अजनबी व्यक्तियो को लेकर वादी के कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी मुतनाजा की भूमि पर आये और उक्त विवादित भूमि की सीमाएँ बेचान करने के उद्देश्य से दिखाने लगे व मौके पर नाप जोख करने लगे तो वादी ने नापजोख करने का कारण पूछा तो उक्त लोगो ने कहा कि हम उक्त भूमि के विशिष्ट व ऊपजाऊ भाग को बेचेगे। इसलिए नाप जोख कर रहे है जिस पर वादी ने उक्त लोगो को मना किया कि अभी भूमि का तकारमा नहीं हुआ है, एवं आपको किसी भी विशिष्ट भू भाग को बिना तकास्मा करवाये बेचान हस्तानान्तरण करने तथा निर्माण करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। जिस पर उक्त लोगो ने एलानियां कहा है कि हम तो बिना तकासमा कराये ही उक्त विवादित भूमि के विशिष्ट व उपजाऊ भूभाग को प्रतिवादी सं0–1 बेचान करवाकर दीगर लठैत व्यक्तियो को करेगे जो तुम्हे अपने आप जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर देगे तथा निर्माण कार्य भी करके रहेगे इस प्रकार प्रतिवादी सं0–1 लगायत 7 की हरकतो से स्पष्ट है कि वह सहखातेदारी में नहीं रहना चाहती है व उक्त भूमि का बिना तकासमा करवाये विशिष्ट भू भाग बेचने पर आमादा है इसलिए वादी को प्रतिवादी सं0–1 लगायत 7 के विरूद्ध अधिकार हासिल है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के आधार पर बंटवारा कराया जाकर वादी के हिस्से में आयी भूमि का पर्चा लगान अलग अलग निर्धारित करवाये। यहकि वाद पत्र के जिमन नम्बर 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात वादी व प्रतिवादी सं0–1 लगायत 23 की शामलाती सम्पति मुतनाजा है उक्त आराजीयात का पूर्व में कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है इस कारण उक्त आराजी के

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जावेगा तथा आराजी में निहित पेड़ पौधो पूला पानी, व सम्पति पर प्रत्येक सह खातेदार का हिस्सा माना जावेगा। लेकिन प्रतिवादी सं0–1 लगायत 7 उक्त विवादित भूमि का बिना बंटवारा करवाये ही उसके उपजाउ विशिष्टि भू भाग को दीगर व्यक्तियो को बेचान कर तथा भूमि की किस्म सम्परिवर्तन करवाये बिना निमार्ण कार्य करवाने को आमादा है तथा वादी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते है। यदि प्रतिवादी सं0–1 लगायत 7 अपने उक्त अवैध मन्सूबो में कामयाब हो गये तो वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में सम्भव नहीं हो सकेगी व पक्षकारो में अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी।

अन्त में निवेदन किया कि यहकि हाल आराजी खसरा नं0–36 रकबा 0.7600, 37 रकबा 0.2300 हैक्टर कुल किता–2 कुल रकबा 0.9900 हैक्टर वाकै ग्राम बिचपुडी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर का वादी तथा प्रतिवादी सं0–1 लगायत 23 के मध्य राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार कब्जे काश्त के आधार पर राजस्व बोर्ड के नियमो के मुताबिक कानूनी बंटवारा करवाया जाकर राज लगान अलग अलग निर्धारित किया जावे जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किया जावे। यहकि प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित हाल आराजी खसरा नं0–36 रकबा 0.7600, 37 रकबा 0.2300 हैक्टर कुल किता–2 कुल रकबा 0. 9900 हैक्टर वाकै ग्राम बिचपुडी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बैजा दखलअन्दाजी पैदा नहीं करे वादी को शान्ति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे व जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे तथा उक्त आराजी मुतनाजा पर कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें व राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 की ओर से अधिवक्ता रामगोपाल कुमावत एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 23 की ओर से अधिवक्ता सुभाष यादव ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में उभयपक्ष/वकील उभयपक्ष ने राजीनामा पेश कर एवं समस्त पक्षकारान् को न्यायालय में उपस्थित कर आदेशिका पर हस्ताक्षर कर पक्षकारान् की पहचान कर दावा राजीनामा अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। चूंकि पक्षकारान् में राजीनामा होने से एवं पक्षकारान् के सहमत होने से दावा दिनांक 24.12.2025 को राजीनामा अनुसार प्राथमिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार शाहपुरा को प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू०अ०/2026/598 दिनांक 10.02.2026 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का वकील उभयपक्ष द्वारा अवलोकन किया गया एवं कोई आपत्ति पेश नही कर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील उभयपक्ष प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से सहमत है एवं वकील उभयपक्ष द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। अतः वकील उभयपक्ष द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं करने से बल्कि सहमत होने से एवं कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतित होने से दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नं0–36 रकबा 0.7600, 37 रकबा 0.2300 हैक्टर कुल किता–2 कुल रकबा 0.9900 हैक्टर वाकै ग्राम बिचपुडी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर राज० की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. कानाराम पुत्र रतना हि0 पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 36/1 रकबा 0.11 है0, 37/1 रकबा 0.03 है0 किता 2 कुल रकबा 0.14 है0 भूमि रहेगी।
2. मालीराम पुत्र रामलाल उर्फ रामू हि0 1/2, अर्जुनलाल पुत्र रामलाल उर्फ रामू हि0 1/2 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 36/2 रकबा 0.14 है0, 37/2 रकबा 0.03 है0 किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 भूमि रहेगी।
3. कमली देवी पत्नी बीरबल हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 36/3 रकबा 0.1140 है0 किता 1 रकबा 0.1140 है0 भूमि रहेगी।
4. पूजा गुर्जर पत्नि कृष्णपाल गुर्जर हि0 960/3960, मेवा देवी पत्नि मुकेश कुमार हि0 3000/3960 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 36 रकबा 0.3960 है0 किता 1 रकबा 0.3960 है0 भूमि रहेगी।
5. कमली देवी पत्नि बन्नाराम हि0 पूर्ण जाति गुर्जर, सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 37/3 रकबा 0.17 है0 किता 1 कुल रकबा 0.17 है0 भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27/4/26 को सरै इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदड़, R.A.S)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते